[2022] 17 एस. सी. आर 809

ए.

डी. एन. कृष्णप्पा बनाम

जिला सामान्य प्रबंधक (2022 की सिविल अपील संख्या 9008) 12 दिसंबर, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 -s.33-C (2)-नियोक्ता से देय धन की वसूली-पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश देते हुए पुरस्कार पारित किया गया-कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आदेश पर रोक लगा दी गई-फैसले की तारीख से पिछले वेतन से इनकार-उचित नहीं-विलय का सिद्धांत-अपीलकर्ता की गैर-प्रयोज्यता-प्रतिवादी-बैंक द्वारा सेवा से खारिज कर दिया गया था-श्रम न्यायालय ने आदेश dtd.18.07 के माध्यम से 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया।07 – आखिरकार, उच्च न्यायालय ने बहाली के आदेश की पुष्टि की, लेकिन आदेश डी. टी. डी. के माध्यम से बिना किसी वेतन के।12.07.13 – एस. एल. पी. खारिज कर दिया गया, अपीलार्थी को 23.09.13 पर बहाल कर दिया गया-अपीलार्थी ने आवेदन यू/एस. दाखिल करके फिर से श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 33-ग (2) अधिनिर्णय की तारीख से मजदूरी वापस करने का दावा करना, अर्थात, <आई. डी. 1 पर वास्तविक बहाली तक, अनुमति-उच्च न्यायालय द्वारा अलग रखा गया आदेश-बैंक की याचिका कि अधिनिर्णय के संचालन के रूप में डी. टी. डी.18.07.07 उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और 12.07.13 पर रिट अपीलों के निपटारे तक रोक जारी रखी गई थी, अपीलार्थी पुरस्कार से वेतन का हकदार नहीं होगा।18.07.07 – इसके अलावा, बैंक के अनुसार, पुरस्कार डी. टी. डी.18.07.2007 ऑर्डर डी. टी. डी. के साथ विलय हो गया।12.07.13 इसलिए, उक्त आदेश विलय के सिद्धांत पर लागू होगा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःअंतरिम आदेश हमेशा अंतिम निर्णय के अधीन होते हैं-केवल इसलिए कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बहाली के आदेश पर अंतरिम आदेश/रोक थी, अपीलार्थी को वापस मजदूरी/मजदूरी से इनकार नहीं किया जा सकता है जब अंततः बहाली के आदेश की अदालत द्वारा पुष्टि की जाती है-इसके अलावा, विलय का सिद्धांत भी लागू नहीं होगा क्योंकि बहाली के आदेश के आदेश की पुष्टि डिवीजन बेंच द्वारा की गई थी जो श्रम न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश पर भरोसा करेगी-अपीलार्थी बहाली के आदेश की तारीख से सभी परिलब्धियों के साथ पूर्ण वेतन का हकदार है, यानी वास्तविक बहाली की तारीख यानी राशि को समायोजित करने के बाद, 23.09.1317 बी, आई. डी. अधिनियम।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

809

810 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस. सी. आर.

ए.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 -s.33-C (2)-बॉम्बे केमिकल

उद्योग बनाम। उप श्रम आयुक्त और अन्र. यदि लागू हो -

आयोजित किया गयाःउक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक गैर-न्यायिक दावा यू/एस की कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है।33-ग (2) और कार्यवाही में यू/एस। 33-ग (2), न्यायाधिकरण केवल उस अधिनिर्णय या समझौते की व्याख्या कर सकता है जिस पर दावा आधारित है-वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लिया गया था, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को यहाँ के तथ्यों पर गलत तरीके से लागू किया-अपीलार्थी ने एक आवेदन के माध्यम से औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क कियापुरस्कार डी. टी. डी. के कार्यान्वयन के लिए s.33-C (2)।18.07.07 – इसलिए, जहां तक बहाली के आदेश और बहाली के आदेश पर दावा किए गए वेतन का संबंध है, उन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है-इस प्रकार, उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

बी.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** पुनर्स्थापना के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ और यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा भी की गई है।उच्च न्यायालय द्वारा जो संशोधन किया गया था**,** वह समाप्ति की तारीख से लेकर सी**.** जी**.** आई**.** टी**.** द्वारा पारित पुरस्कार की तारीख तक का पिछला वेतन था। यह बैंक**-**नियोक्ता था जिसने बहाली के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त किया था जो अंततः **12.07.2013** पर समाप्त हो गया जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपीलों को खारिज कर दिया।यह नियोक्ता**-**बैंक था जिसने बहाली के खिलाफ रोक प्राप्त की और अंततः बहाली के आदेश को अंतिम रूप दिया।कर्मचारी को क्यों पीड़ित किया जाना चाहिए**,** जब बैंक ने बहाली की रोक प्राप्त कर ली और जब बहाली के आदेश की

बाद में पुष्टि हो गई और उसे अंतिम रूप दिया गया?जहाँ तक बैंक की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि अंतरिम आदेश का दिनांक **1** के अंतिम आदेश के साथ विलय हो गया है और इसलिए, अपीलकर्ता **2** और **1** के बीच की अवधि के लिए पिछले वेतन का दावा करने का हकदार नहीं है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अंतरिम आदेश हमेशा अंतिम आदेश के अधीन होता है जिसे कार्यवाही को समाप्त करते समय अंततः पारित किया जा सकता है। अंतरिम आदेश हमेशा अंतिम निर्णय के अधीन होते हैं।इसलिए, केवल इसलिए कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बहाली के आदेश पर अंतरिम आदेश/रोक थी, कर्मचारी-अपीलार्थी को पिछले वेतन/मजदूरी से इनकार नहीं किया जा सकता है जब अंततः ए.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

811

डी. एन. कृष्णप्पा बनाम डिप्टी जनरल मैनेजर ए.

अदालत द्वारा बहाली की पुष्टि की गई।इसी तरह, विलय के सिद्धांत को लागू करते हुए बैंक की ओर से जमा करने में भी कोई सार नहीं है।वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बहाली के आदेश की पुष्टि की गई है।इसलिए, बहाली का आदेश श्रम न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश पर निर्भर करेगा।केवल इसलिए कि बहाली के आदेश को चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बहाली के आदेश पर रोक थी, यह कर्मचारी को वेतन से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है जब अंततः बहाली के आदेश की पुष्टि हो जाती है और अंतिम रूप प्राप्त हो जाता है।**[**पारस **7,7.2] [817-**डी-एच**; 818-**ए-ई**]**

बी.

सी.

1.2 अब जहाँ तक बैंक की ओर से यह निवेदन है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान और बहाली के आदेश पर रोक के दौरान, अपीलार्थी को आई. डी. अधिनियम की धारा **17** बी के तहत अंतिम वेतन का भुगतान किया गया था और इसलिए वह रोक के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है।अधिक से अधिक, जो कुछ भी अपीलार्थी-कर्मचारी को बहाली के आदेश से वास्तविक बहाली तक

वेतन के रूप में भुगतान करने का हकदार माना जाता है, आईडी अधिनियम की धारा **17** बी के तहत जो कुछ भी भुगतान किया जाता है, उसे काटा और/या समायोजित किया जाना है।अब उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता का संबंध है, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर उक्त निर्णय को गलत तरीके से लागू किया है।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लिया गया था।अपीलार्थी ने आईडी अधिनियम की धारा **33-**सी **(2)** के तहत एक आवेदन के माध्यम से औद्योगिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया ताकि दिनांक **18.07.2007** के पुरस्कार को लागू किया जा सके।इसलिए, जहां तक बहाली के आदेश और बहाली के आदेश पर दावा किए गए वेतन का संबंध है, उन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में, यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैर-न्यायिक दावा धारा **33-**सी **(2)** के तहत कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है और धारा **33-**सी **(2)** के तहत कार्यवाही में, न्यायाधिकरण केवल उस निर्णय या समझौते की व्याख्या कर सकता है जिस पर दावा आधारित है।इन परिस्थितियों में, उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।**[**पैरा **7.3,7.4] [818-**सी-जी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1.3 उपरोक्त और बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने और आईडी अधिनियम की धारा **33-**सी **(2)** के तहत सी**.** जी**.** आई**.** टी**.** द्वारा बैंक को **18.07.2007** से **23.09.2013** तक मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश देने वाले आदेश को रद्द करने और रद्द करने का विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग करने का हकदार है और तदनुसार इसे रद्द और अलग कर दिया जाता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलकर्ता बहाली के आदेश की तारीख से सभी परिलब्धियों के साथ पूर्ण वेतन का हकदार होगा, अर्थात, वास्तविक बहाली की तारीख यानी, आईडी अधिनियम की धारा **17** बी के तहत पहले से ही भुगतान की गई राशि को समायोजित/कटौती करने के बाद। वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा के अनुसार दी जाती है।**[**पैरा **8] [818-**एच**; 819-**ए-बी**]**

बी.

सी.

बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम उप श्रम

आयुक्त और ए. एन. आर. (2022) 5 एससीसी 629:2022 (2) जे. टी. 14-लागू नहीं होता है।

डी.

नामेर अली चौधरी और अन्य। बनाम केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और अन्र। **(1977) 4** एससीसी **575:[1978] 2** एससीआर **205;** एम**.** एल**.** बोस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बनाम कर्मचारी ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1198; कुन्हयमद और

ओआरएस। बनाम केरल राज्य और अन्र। **(2000) 6** एससीसी **359:**

ई.

[2000] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 538-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[1978] 2 एससीआर **205**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

[2000] 1 पूरक।पैरा **4.2** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 538**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 9008।

2021 की रिट याचिका संख्या 7176 (एल-आरईएस) में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.06.2022 के निर्णय और आदेश से।शैलेश मडियाल, महेश ठाकुर, अजय कनोजिया, सुश्री विनायक एस. पंडित, सुश्री विपाशा सिंह, सुश्री शिवानी, अक्षय गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, निपुण शर्मा, सचिन सिंह, विदुर अहलूवालिया, सुमित शर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

डी. एन. कृष्णप्पा बनाम डिप्टी जनरल मैनेजर ए.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बेंगलुरु में रिट याचिका संख्या आई. डी. 4 में पारित दिनांक आई. डी. 1 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (जिसे इसके बाद सी. जी. आई. टी./श्रम न्यायालय के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसके बाद आई. डी. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 33-सी. (2) के तहत एक आवेदन में पारित आदेश को खारिज कर दिया है।

बी.

सी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 कि यहाँ अपीलार्थी प्रत्यर्थी-बैंक के साथ काम कर रहा था।विभागीय कार्यवाही में उन्हें 27.09.1996 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।बर्खास्तगी के आदेश को अपीलार्थी द्वारा पहचान पत्र अधिनियम की धारा 10 (2) (ए) के तहत सी. जी. आई. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, सी. जी. आई. टी. ने बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार कर दिया और 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ उनकी बहाली का आदेश पारित किया और सजा के आदेश की तारीख से संचयी प्रभाव के साथ चार वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया।उक्त पुरस्कार को बैंक के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा बहाली के आदेश की पुष्टि की, हालांकि, पिछले वेतन को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया।अपील (ओं) में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित बहाली के आदेश की पुष्टि की, हालांकि यह माना कि अपीलार्थी किसी भी पिछले वेतन का हकदार नहीं है।12.07.2013 का निर्णय और आदेश इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (ओं) का विषय था।इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया।इस प्रकार, दिनांकित 18.07.2007 पुरस्कार के संदर्भ में बहाली के आदेश ने अंतिमता प्राप्त की।इसके बाद, अपीलार्थी को 23.09.2013 पर बहाल किया गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.2 यह कि दिनांक 1 के पुरस्कार के बावजूद न तो उन्हें पहले बहाल किया गया था और न ही उन्हें पुरस्कार की तारीख से पूरा वेतन दिया गया था, इसलिए उन्होंने वेतन वापस करने का दावा करते हुए आई. डी. अधिनियम की धारा 33-सी. (2) के तहत एक आवेदन दायर करके सी. जी. आई. टी. से फिर से संपर्क किया।

एच.

सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित पुरस्कार की तारीख 18.07.2007 से उनकी वास्तविक बहाली तक।सी. जी. आई. टी. ने उक्त आवेदन की अनुमति दी और बैंक-नियोक्ता को पुरस्कार की तारीख से वास्तविक बहाली की तारीख तक देय मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया।बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बॉम्बे केमिकल के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

बी.

उद्योग बनाम उप श्रम आयुक्त और अन्र। **; (2022) 5**

एस. सी. सी. 629, और यह पाया और अभिनिर्धारित किया कि सी. जी. आई. टी. के पास आई. डी. अधिनियम की धारा 33-सी. (2) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए कर्मचारी-कर्मचारी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

सी.

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश मडियाल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने आईडी अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है, जिसमें बैंक को सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित बहाली के आदेश की तारीख से वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

डी.

3.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि बहाली के आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और इसलिए, अपीलार्थी को बहाल किया जाना चाहिए था और/या वास्तविक बहाली की तारीख तक पुरस्कार की तारीख से मजदूरी सहित सभी लाभों का हकदार है।3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को गलत तरीके से पढ़ा है और/या गलत तरीके से लागू किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में निर्णय का अनुपात यह है कि एक निष्पक्ष दावा धारा 33-सी (2) के तहत कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है, और सी. जी. आई. टी. केवल उस निर्णय या समझौते की व्याख्या कर सकता है जिस पर दावा आधारित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में जो मांगा गया था वह उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा संशोधित पुरस्कार dated18.07.2007 का कार्यान्वयन था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, CGIT द्वारा 18.07.2007 पर बहाली के पुरस्कार की तारीख से मजदूरी और अन्य लाभों का दावा करने वाला आवेदन बनाए रखने योग्य था। 3.3 नेमेर के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

ई.

एफ.

जी.

अली चौधरी और ओआरएस। बनाम केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और अन्र। **; (1977) 4** एस**.** सी**.** सी**. 575 (**पैरा **4),** यह प्रस्तुत किया गया है ए

एच.

815

डी. एन. कृष्णप्पा बनाम डिप्टी जनरल मैनेजर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब पुरस्कार के तहत देय धन की राशि के बारे में कोई निर्णय और प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वही आई. डी. अधिनियम की धारा 33-सी. (2) के तहत कार्यवाही का विषय होगा।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि विवादित निर्णय और आदेश, सी. जी. आई. टी. के आदेश में हस्तक्षेप करने वाले उच्च न्यायालय को बरकरार रखा जाता है और बैंक की ओर से प्रस्तुतियाँ स्वीकार की जाती हैं, तो उस मामले में, अपीलकर्ता-कर्मचारी/कर्मचारी को सी. जी. आई. टी./श्रम न्यायालय द्वारा पारित बहाली के पुरस्कार की तारीख से वेतन से इनकार करके उसकी कोई गलती नहीं है, जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था।

बी.

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक की ओर से प्रस्तुतियाँ कि क्योंकि पुरस्कार पारित होने के बाद समय-समय पर स्थगन आदेश (ओं) थे और क्योंकि पुरस्कार विभिन्न न्यायालयों के समक्ष चुनौती का विषय था, इसलिए अपीलार्थी को पुरस्कार की तारीख से वेतन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी जब तक कि वास्तविक बहाली का संबंध नहीं है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में बैंक को अपीलार्थी को बहाल करने का निर्देश देने की सीमा तक 18.07.2007 का पुरस्कार अंतिम रूप ले चुका था और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल कार्यवाहियों के लंबित रहने से वेतन के भुगतान सहित इसके सभी परिणामों के साथ पुरस्कार के संदर्भ में बहाली की आवश्यकता कम नहीं होती है।

सी.

डी.

ई.

3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णय पर भरोसा करना

एम. एल. बोस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के बनाम।

कर्मचारी**;** ए**.** आई**.** आर**. 1961** एस**.** सी**. 1198,** यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए।

4. प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गौतम ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने पहचान पत्र अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत वेतन देने वाले सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से 18.07.2007 दिनांकित पुरस्कार के संचालन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई क्योंकि उक्त अंतरिम आदेश 12.07.2013 पर रिट अपीलों के निपटारे तक जारी रहा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की तय स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश हमेशा अंतिम आदेश के साथ मिल जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित पुरस्कार के संचालन पर दी गई अंतरिम रोक

एफ.

जी.

एच.

18.07.2007 यह तब तक जारी रहा जब तक कि 12.07.2013 पर रिट अपीलों का निपटारा नहीं हो जाता, इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेश द्वारा संशोधित 12.07.2013 का निर्णय अंतिम हो जाता है और केवल 12.07.2013 पर ही लागू किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अपीलकर्ता 18.07.2007 से 12.07.2013 तक की अवधि के लिए मजदूरी वापस करने का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

बी.

4.1 बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आई. डी. 2 के निर्णय पर आई. डी. 1 तक रोक लगी हुई है, इसलिए आई. डी. अधिनियम की धारा 17 बी में निहित प्रावधानों को देखते हुए, अपीलार्थी को अंतिम रूप से प्राप्त वेतन का भुगतान किया गया था। 3, 18, 782.36-इस अवधि के दौरान सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित पुरस्कार पर रोक लगा दी गई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आई. डी. अधिनियम की धारा 17 बी के तहत प्रदान किए गए अंतिम वेतन का भुगतान सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित अवधि के दौरान किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है, यहां तक कि उक्त अवधि के लिए भी अपीलार्थी पूर्ण वेतन का हकदार नहीं है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया जा रहा है।

सी.

डी.

4.2 बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि विलय के सिद्धांत पर भी अपीलार्थी निर्णय की तारीख से उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश तक किसी भी पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विलय के सिद्धांत को लागू करते हुए, केवल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश निष्पादन योग्य और प्रवर्तनीय होंगे।कुन्हयमद के मामले में रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

ई.

और ओआरएस। बनाम केरल राज्य और अन्र। **; (2000) 6** एससीसी **359**।

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

एफ.

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

5.1 इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता बहाली के पुरस्कार की तारीख से पूर्ण वेतन का हकदार होगा, अर्थात, सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित, बहाली की वास्तविक तारीख यानी, 23.09.2013 तक?

जी.

6. बैंक की ओर से यह मामला है कि चूंकि सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित बहाली के दिनांक 18.07.2007 के निर्णय पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और 12.09.2013 तक रोक जारी रखी गई थी, इसलिए अपीलकर्ता ए.

एच.

817

डी. एन. कृष्णप्पा बनाम डिप्टी जनरल मैनेजर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पुरस्कार की तारीख 18.07.2007 से मजदूरी का हकदार नहीं होगा।प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से यह भी मामला है कि 18.07.2007 दिनांकित अधिनिर्णय अंततः उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 12.07.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश के साथ विलय हो जाता है और इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश विलय के सिद्धांत पर लागू होगा।बैंक की ओर से यह भी मामला है कि बहाली के आदेश पर रोक के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी को पहचान पत्र अधिनियम की धारा 17 बी के तहत अंतिम वेतन का भुगतान किया गया था, अपीलार्थी बहाली के आदेश की तारीख से लेकर उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश तक किसी भी अतिरिक्त वेतन/पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा।

बी.

सी.

7. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और ऊपर वर्णित तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह पता चलता है कि पुनर्स्थापना के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ और यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा भी की गई है।उच्च न्यायालय द्वारा जो संशोधन किया गया था, वह समाप्ति की तारीख से लेकर सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित पुरस्कार की तारीख तक का पिछला वेतन था। यह बैंक-नियोक्ता था जिसने बहाली के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त किया था जो अंततः 12.07.2013 पर समाप्त हो गया जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपीलों को खारिज कर दिया।जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह नियोक्ता-बैंक था जिसने बहाली के खिलाफ रोक प्राप्त की और अंततः बहाली के आदेश को

अंतिम रूप दिया गया।कर्मचारी को क्यों पीड़ित किया जाना चाहिए, जब बैंक ने बहाली की रोक प्राप्त कर ली और जब बहाली के आदेश की बाद में पुष्टि हो गई और उसे अंतिम रूप दिया गया?

डी.

ई.

एफ.

7.1 जहाँ तक बैंक की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि अंतरिम आदेश का दिनांकित अंतिम आदेश के साथ विलय हो गया है और इसलिए, अपीलकर्ता 18.07.2007 और 12.07.2013 के बीच की अवधि के लिए पिछले वेतन का दावा करने का हकदार नहीं है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अंतरिम आदेश हमेशा अंतिम आदेश के अधीन होता है जिसे कार्यवाही को समाप्त करते समय अंततः पारित किया जा सकता है।अंतरिम आदेश हमेशा अंतिम निर्णय के अधीन होते हैं।इसलिए, केवल इसलिए कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बहाली के आदेश पर अंतरिम आदेश/रोक थी, कर्मचारी-अपीलार्थी को पिछले वेतन/मजदूरी से वंचित नहीं किया जा सकता है जब अंततः अदालत द्वारा बहाली के आदेश की पुष्टि की जाती है।

जी.

एच.

7.2 इसी तरह, विलय के सिद्धांत को लागू करते हुए बैंक की ओर से जमा करने में भी कोई सार नहीं है।वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बहाली के आदेश की पुष्टि की गई है।इसलिए, बहाली का आदेश श्रम न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश पर निर्भर करेगा। केवल इसलिए कि बहाली के आदेश को चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बहाली के आदेश पर रोक थी, यह कर्मचारी को वेतन से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है जब अंततः बहाली के आदेश की पुष्टि हो जाती है और अंतिम रूप प्राप्त हो जाता है।

बी.

7.3 अब जहाँ तक बैंक की ओर से यह निवेदन है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान और बहाली के आदेश पर रोक के दौरान, अपीलार्थी को आई. डी.

अधिनियम की धारा 17 बी के तहत अंतिम वेतन का भुगतान किया गया था और इसलिए वह रोक के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है।अधिक से अधिक, जो कुछ भी अपीलकर्ता-कर्मचारी को बहाली के आदेश से वास्तविक बहाली तक वेतन के रूप में भुगतान करने का हकदार माना जाता है, आईडी अधिनियम की धारा 17 बी के तहत जो कुछ भी भुगतान किया जाता है, उसे काटा और/या समायोजित किया जाना है।

सी.

डी.

7.4 अब इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है

उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) का मामला

न्यायालय चिंतित है, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर उक्त निर्णय को गलत तरीके से लागू किया है।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लिया गया था। अपीलार्थी ने आईडी अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत एक आवेदन के माध्यम से औद्योगिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया ताकि दिनांक 18.07.2007 के पुरस्कार को लागू किया जा सके।इसलिए, जहां तक बहाली के आदेश और बहाली के आदेश पर दावा किए गए वेतन का संबंध है, उन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

ई.

एफ.

बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज (ऊपर) के मामले में, यह देखा गया है

और अभिनिर्धारित किया कि गैर-न्यायिक दावा धारा 33-सी (2) के तहत कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है और धारा 33-सी (2) के तहत कार्यवाही में, न्यायाधिकरण केवल उस निर्णय या समझौते की व्याख्या कर सकता है जिस पर दावा आधारित है।इन परिस्थितियों में, उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

जी.

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को अनुमति दी और धारा ए के तहत सी. जी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द और रद्द कर दिया।

एच.

33-आई. डी. अधिनियम के सी. (2) में बैंक को आई. डी. 1 से आई. डी. 2 तक के वेतन का भुगतान करने का निर्देश देना अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलकर्ता बहाली के आदेश की तारीख से सभी परिलब्धियों के साथ पूर्ण वेतन का हकदार होगा, अर्थात, वास्तविक बहाली की तारीख यानी, आईडी अधिनियम की धारा 17 बी के तहत पहले से ही भुगतान की गई राशि को समायोजित/कटौती करने के बाद। वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा के अनुसार दी जाती है।कोई लागत नहीं।

बी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.